न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख हुक्म

गिर्राज(?) बनाम भरतलाल

मु.नं. 86/22 T.I.

26-11-24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र दिनांक 28-11-24 को पेश हो। ह.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

28-11-24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा.पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I दिनांक 17.12.2024 को पेश हो। ह.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

17-12-24 पत्रावली पेश हुई अभिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-12-24 को पेश हो। ह.

26-12-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ह.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
86/22	06.12.22	26.12.24

बउनवान

1. मिथलेश कुमारी पत्नी सुरेश चन्द निवासी हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा।

.प्रार्थी

बनाम

1. भरतलाल पुत्र रामहेत निवासी हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. कजोडी पुत्र रामहेत निवासी हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री गोपाल सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री मुकेश सिंह।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राजस्थान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.43 हैक्टे. वाके ग्राम हल्देना तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 के 7/43 भाग की प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं शेष हिस्सा के अन्य अप्रार्थीगण खातेदार हैं। विवादित आराजी को वर्ष 2022 से करीब 25–30 वर्ष पूर्व से ही, अलावा प्रार्थी के, सभी खातेदारान ने काश्त की सुविधा के अनुसार सहमति से मौके पर मनबट कर रखा है और मनबट के आधार पर विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्सा में आयी थी। इसलिये विवादित आराजी के सम्पूर्ण रकबा का अकेला अप्रार्थी संख्या 2 का बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 को पैसों की आवश्यकता होने पर अपने हिस्से 1/4 में से 28/43 भाग (कुल नम्बर का 28/172 भाग) को एक लाख रूपये में दिनांक 15.09.22 को प्रार्थी के हक में बेचान कर दिया था और प्रार्थी बरोज खरीद के दिन से ही अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग में लेती चली आ रही है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी में पशुओं का चारा रखने व कृषि ओजार रखने के लिये बाडा बना लिया है। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 के अलावा अन्य किसी खातेदार का कब्जा कभी भी नहीं रहा है और ना ही किसी खातेदार का उक्त आराजी से कोई संबंध है और ना ही कब्जा काश्त रहा है। विवादित आराजी सम्मिलित खातेदारी की भूमि है लेकिन उक्त आराजी न्यारानूर अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त की भूमि रही है। अभी तक उक्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से द्वेष भाव रखता

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

है। अप्रार्थी संख्या 2 कजोडी, जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 का का सगा बड़ा भाई है, के द्वारा प्रार्थी के हक में बेचान करने के दिन से ही उसके दिल में फितूर पैदा हो गया है और येन केन प्रकारेण प्रार्थी के हिस्से पर लाठी के बल पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर स्वयं कब्जा करने पर उतारू है। दिनांक 13.11.22 को प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी की नडाई गुडाई कर रही थी, इतने में अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवारजन हाथो में लाठी डण्डा लेकर आये और प्रार्थी से कहा कि आज हम तुझे तेरी खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी से बेदखल करके रहेगे क्योंकि तूने हमारे परिवार की आराजी को खरीद क्यों किया है। मैं इस आराजी को औने पौने दामों में खरीद करता लेकिन अब तुमने खरीद लिया है तो तुझे लाठी के बल पर बेदखल कर रहूंगा तथा तुझे काश्त उपयोग व उपभोग नहीं करने दूंगा। इसके अलावा इस खसरा नम्बर में मेरा भी नाम है जिसको मैं किसी अन्य लाठी वाले को बेचकर तुमको बेदखल करवा दूंगा। प्रार्थी ने कहा कि मैंने मेरी मेहनत से पैसा कमाया है और तेरे भाई ने मेरे पास आकर कहा कि मेरी गरीब स्थिति है तथा मुझे रूपयों की आवश्यकता है, मेरे हिस्सा की आराजी का कुछ भाग का विक्रय करना चाहता हूं। इस पर मैने आपके भाई अप्रार्थी संख्या 2 से कहा कि तेरे भाई व अन्य किसी को बेचान कर दो और कोई भी खरीद करने को तैयार नहीं हो तो मै खरीद कर लूंगी। इस पर अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि मैं उक्त आराजी को बेचान बाबत सभी को पूछ लिया है कोई भी खरीद करने को तैयार नहीं है। इसलिये मैंने उक्त आराजी के कुछ भाग को पशुओं चारा फूस व कृषि औजार रखने के लिये खरीद किया है। आपका तो उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त भी नहीं रहा है। आपका इस जमीन से क्या लेना देना है। इससे अप्रार्थी संख्या 1 और नाराज हो गया और धमकी दी कि कब्जा नहीं है तो क्या है, इस आराजी में मेरा नाम तो है और मेरे भाई कजोडी को मेरे पक्ष में करके तुम्हें काश्त व उपयोग उपभोग में नहीं लेने दूंगा। मेरे नाम की जमीन को किसी अन्य लाठी वाले व्यक्ति को विक्रय कर तुमको बेदखल करवा दूंगा। प्रार्थी ने कहा कि भविष्य में इस आराजी से संबंधित कोई विवाद नहीं हो, इसलिये सभी खातेदार तहसील कार्यालय में चल कर अलग अलग खाता कायम करवा लेते है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 किसी भी स्थिति में मानने को तैयार नही है और अप्रार्थी संख्या 2 का अपने बहकावे में ले रखा है और अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी को रहन विक्रय कर प्रार्थी को उसके हिस्सा की आराजी से बेंदखल करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त इरादे में सफल हो गया तो प्रार्थी अपने हक हकूकों से वंचित हो जावेगी और प्रार्थी के आजीविका का एक मात्र सहारा हमेशा के लिये छिन जावेगा जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी किसी भी स्थिति में मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद नहीं करने पर प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं होगी जबकि अप्रार्थीगण को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी के हिस्से व खातेदारी की आराजी के उपयोग उपभोग व कब्जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न व मजाहमत मदाखलत पैदा करें। प्रार्थी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने दे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे। आराजी का रहन, विक्रय या अन्त किसी भी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बरान 552 रकबा 0.43 हैक्टे. स्थित वाके ग्राम हल्दैना तहसील मंडावर से प्रार्थी के कब्जे काश्त में से अतिक्रमण को हटाते हुए प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी पैदा न स्वयं करे, ना ही किसी से करावें एवं राजस्व रिकॉर्ड व वर्तमान मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 3 न्यायालय में अनुपस्थित रहे, इसलिए इनका जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अपने जबाव में प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार किया गया और निवेदन किया कि कि प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। विवादित आराजी के 7/43 भाग को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से दिनांक 15.09.22 को बेइमानीपूर्ण तरीके से क्रय किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपनी अथक मेहनत एवं प्रयासों से उपजाऊ बनाई गई अपने हिस्से की आराजी भूमि को प्रार्थी जबरन हडपना चाहती है। विवादित आराजी को मौके पर अपने हिस्सानुसार बंटवारा कर रखा है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने हिस्से की आराजी भूमि को अपनी अथक मेहनत एवं परिश्रम से उपजाऊ बनाया गया है जबकि प्रार्थी एक शराबी व्यक्ति है एवं अप्रार्थीगण से लड़ाई झगड़ा करता रहता है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर दर्ज कराया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 ने विवादित भूमि का सडक के पास वाला हिस्सा बेचान नहीं किया है। विवादित आराजी सम्मलित खातेदारी की भूमि नहीं है तथा विवादित भूमि का विधिवत बंटवारा किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 बिल्कुल सीधा व्यक्ति है। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि को जबरन हडपना. चाहता है तथा अप्रार्थी की भूमि को राजनैतिक दबाब तथा लाठी के जोर से जबरन अपने कब्जे में लेना चाहता है। प्रार्थी द्वारा सम्मिलित भूमि को जबरन अपने कब्जे में ले रखा है तथा प्रार्थी सड़क की भूमि को हडपना चाहता है जो अप्रार्थी के कब्जे का है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला साबित नहीं है, प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति नहीं है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करें।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को निर्णीत किया जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के अनुसार, ग्राम हल्दैना तहसील मंडावर में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.43 हैक्टे. प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 और 2 की संयुक्त खातेदारी आराजी है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह काश्तकार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थी विवादित आराजी की सह खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजी में जिस हिस्से पर प्रार्थी काबिज है, उसकी खरीद प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से की गई है, इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त खरीदशुदा हिस्से में वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, प्रार्थी को बेदखल किये जाने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, बिना विभाजन हुए, यदि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी को बेदखल किये जाने/किसी प्रकार का निर्माण कार्य किये जाने से मौके की स्थिति में बदलाव हो जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम हल्दैना तहसील मंडावर में स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

06.12.22 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (**Confirm**) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से व खातेदारी की आराजी के उपयोग, उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न व मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें। प्रार्थी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने दें। विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की वर्तमान स्थिति को बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 26.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner